

संचालनालय, कोष एवं लेखा छत्तीसगढ़
ब्लॉक-ए, प्रथम तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर
दूरभाष नं. 0771-2331306 फैक्स 2445789 ईमेल dir.treasury.cg@nic.in

क्र./को.प्र./फा.न.44/GPF Miss.Cre./2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10/01/2025
प्रति, 4954

उप महालेखाकार (पेंशन तथा निधि),
कार्यालय महालेखाकार,
जीरो प्वाइंट बलौदाबाजार रोड,
रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय:- सामान्य भविष्य निधि के गुमशुदा कटौत्रे के संबंध में।


संदर्भ:- महालेखाकार कार्यालय का पत्र क्रमांक FM/F2023/GPF online missing audit
/D-235 दिनांक 09.01.2025

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा दिनांक 19.12.2024 को महालेखाकार कार्यालय में की गयी बैठक का कार्यवृत्त जारी किया गया है। इस बैठक में की गयी चर्चा अनुसार सामान्य भविष्य निधि के गुमशुदा कटौत्रे के ऑनलाईन निराकरण हेतु तैयार किये गये पोर्टल में आवश्यक परिवर्तन किये गये हैं। सभी विभागाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को इस पोर्टल का उपयोग करने निर्देशित किया गया है।

कृपया इस पोर्टल में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप प्राप्त प्रकरणों का निराकरण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है तथा वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया को इसके पश्चात् समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। संपूर्ण प्रक्रिया का SOP संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


संचालक,
कोष एवं लेखा.

8

—: सामान्य भविष्य निधि के मिसिंग क्रेडिट की ऑनलाईन प्रक्रिया :—

छत्तीसगढ़ राज्य के सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा राशि के विरुद्ध मिसिंग क्रेडिट के प्रकरणों का निपटारा करने के लिए वर्तमान में अभिदाता को महालेखाकार कार्यालय को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए गए आहरणों के साथ आवेदन भेजना पड़ता है। इस व्यवस्था में जहाँ एक ओर अधिक समय लगने से अभिदाता को विलंब से भुगतान की स्थिति निर्मित होती है, वहीं दूसरी ओर सेवानिवृत्ति के बाद भी ब्याज की राशि का भुगतान करने से शासन पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ता है।

अतः सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान प्रकरणों के त्वरित निराकरण तथा मिसिंग क्रेडिट का सेवानिवृत्ति के पूर्व ही निपटारा किए जाने हेतु महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर को ऑनलाईन प्रेषित करने की व्यवस्था की गयी है।

आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय स्तर पर :—

1. <https://ekoshonline.cg.nic.in/gpffinal/> वेबसाईट पर Missing Credit वाले Option पर क्लिक कर यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन किया जाता है।
2. लॉगिन करने के बाद मेनूबार के फार्म भरे आप्शन से गुमशुदा कटौत्रा फार्म पर क्लिक करते है जिसमे गुमशुदा कटौत्रा वाले कर्मचारियों की सूची प्रदर्शित होता है।
3. प्रदर्शित गुमशुदा कटौत्रा वाले कर्मचारियों की सूची में गुमशुदा कटौत्रा Option पर क्लिक करने पर भुगतान का प्रकार ट्रेजरी माध्यम/चालान माध्यम प्रदर्शित होता है।
4. भुगतान का प्रकार चयनित करने पर शासकीय सेवक के समस्त गुमशुदा कटौत्रा का माह प्रदर्शित होता है। कोषालय माध्यम से भुगतान संबंधित माह का चयन कर सभी विकल्प (ट्रेजरी कोड, डीडीओ कोड, व्हाऊचर नंबर, बिल नंबर) चयन कर सुरक्षित किया जाना है। यदि चालान के माध्यम से भुगतान किया गया है, तो संबंधित माह का चयन कर सारे विकल्प (चालान नं, चालान तारीख) पूर्ण कर सुरक्षित किया जाना है।
5. समस्त माहों के गुमशुदा कटौत्रों का विवरण पृथक पृथक सुरक्षित करना है और सुरक्षित किये गये गुमशुदा कटौत्रों का डिजिटल दस्तावेज (जीपीएफ शेड्यूल, जीपीएफ पासबुक का प्रथम पेज एवं संबंधित गुमशुदा माह का पेज एवं चालान की कापी) अपलोड किया जाना है।
6. इस प्रकार सुरक्षित किए गए गुमशुदा कटौत्रों का कवरिंग लेटर ऑनलाईन जनरेट होता है जिसमे गुमशुदा कटौत्रों का माहवार विवरण प्रदर्शित होता है। कवरिंग लेटर को डिजिटल हस्ताक्षर कर पुनः डीडीओ द्वारा डिस्पैच आप्शन में अपलोड किया जाना है और send to AG द्वारा शासकीय सेवक के समस्त माहवार गुमशुदा कटौत्रा के विवरण को महालेखाकार को प्रेषित करना है।

महालेखाकार कार्यालय स्तर पर :-

1. <https://ekoshonline.cg.nic.in/gpffinal/> वेबसाईट पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन किया जावेगा और कार्यालय प्रमुख द्वारा ऑनलाईन भरी जानकारियों तथा डिजिटल साइन अभिलेखों का परीक्षण करना।
2. गलत विवरण होने पर आपत्ति लगाकर आहरण एवं संवितरण अधिकारी को वापस कर दिया जावेगा एवं सही विवरण वाले गुमशुदा कटौत्रा वाले प्रकरण को निधि शाखा को प्रेषित की जाती है।
3. परीक्षण करने उपरांत सही विवरण वाले गुमशुदा कटौत्रा वाले प्रकरण को लेखाधिकारी शाखा को प्रेषित की जाती है, जहाँ पर डिजिटल दस्तावेज अपलोड कर जावक शाखा में प्रेषित किया जाता है।
4. जावक शाखा में गुमशुदा कटौत्रा वाले निराकृत प्रकरणों के संबंध मे जारी लेटर को आनलाईन डीडीओ को प्रेषित कर दी जाती है। इस प्रकार से संबंधित शासकीय सेवक का गुमशुदा कटौत्रा का निराकरण हो जाता है।
5. माह के अंत में कार्यालय महालेखाकार द्वारा गुमशुदा कटौत्रा के समस्त निराकृत प्रकरणों का डाटा सर्वर में अपलोड किया जावेगा तथा ई कोष में यह डाटा add हो जावेगा।